

IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

P.S-107/15

SUDHIR KUMAR THAKUR.....PLAINTIFF

Vs.

RAM SEVAK THAKUR & OTHERS.....DEFENDANTS

11.12.19 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। वादी के आवेदन दिनांक- 17.09.19, अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या-14 वृजकिशोर ठाकुर की मृत्यु दिनांक- 01.09.19 को हो गई है, जिनकी पुत्रियां पहले से इस वाद में पक्षकार हैं। अतः मृत प्रतिवादी संख्या-14 की पत्नी का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी संख्या-1 ता 19 की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक- 13.11.19 के द्वारा वादी के उक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन समय-सीमा के अंदर दाखिल किया गया है एवं शपथ-पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तदनुसार मृत प्रतिवादी संख्या-14 का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करें। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षितएं दाखिल करें।

दिनांक- 22.01.20 वास्ते करने दाखिल सम्मन की अपेक्षितएं।

अवर न्यायाधीश
11/12/19